कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 29.07.2026

थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न अभियोगों में पेशेवर जमानतदार के रूप में जमानत कराने से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.07.2026 को थाना हुसैनगंज पर उ0नि0 श्री शिवबाबू मिश्रा की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त रामलखन पुत्र पियारे निवासी ग्राम अहमदपुर, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ही संपत्ति को बार-बार प्रतिभूति (बंधक) के रूप में प्रस्तुत कर, फर्जी शपथपत्र, खतौनी एवं अन्य कूटरचित अभिलेख तैयार कर उनका प्रयोग करते हुए विभिन्न गंभीर अपराधों के अभियुक्तों की जमानत कराने के संबंध में मु0अ0सं0 169/2026 धारा 316(2)/318(2)/227/323/338 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में जनपद में अपराध, अपराधियों एवं **अभियोगों में फर्जी एवं पेशेवर जमानतदारों के विरुद्ध** चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 28.07.2026 को वांछित अभियुक्त रामलखन पुत्र पियारे निवासी ग्राम अहमदपुर, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 29.07.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी शपथपत्र, खतौनी एवं अन्य कूटरचित अभिलेख तैयार कर एक ही संपत्ति को बार-बार प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत कर विभिन्न गंभीर अपराधों के अभियुक्तों की जमानत कराता था। अभियुक्त द्वारा फतेहपुर, कानपुर नगर, लखनऊ एवं जीआरपी के कुल 19 गंभीर आपराधिक अभियोगों (हत्या, एनडीपीएस, गैंगस्टर, चोरी, धोखाधड़ी, कूटरचना आदि) में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेशेवर जमानतदार के रूप में जमानत कराना स्वीकार किया गया। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रामलखन पुत्र पियारे निवासी ग्राम अहमदपुर थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर उम्र करीब 50 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 323/452/504/506 भादवि, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 169/2026 धारा 316(2)/318(2)/227/323/338 बीएनएस, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री बुद्धिमान सिंह थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।
2. कां0 भारत सिंह

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर